मॉन्ट्रियल समझौते के देशों की 18वीं उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री का भाषण

नई दिल्ली
2 नवम्बर, 2006

मैं आपकी इस बैठक में आकर बहुत प्रसन्न हूँ। भारत की जनता और सरकार तथा अपनी ओर से मैं मॉन्ट्रियल समझौते के देशों की 18वीं बैठक के में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक उद्देश्यपूर्ण और उपयोगी सम्मेलन के लिए हमने आपको अनूकूल वातावरण उपलब्ध कराया है।

हमारे पर्यावरण की सुरक्षा की चुनौती के प्रति भारत के दृष्टिकोण को हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रबुद्ध और दूरदर्शी टिप्पणियों ने सही रूप दिया, था जो उन्होंने कहा था 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के अवसर पर की थी। उन्होंने कि गरीबी प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है।

ऐसा कह कर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संबंध पर एक विश्वव्यापी बहस छेड़ दी थी। उसके बाद से निरन्तर विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई बहु-पक्षीय समझौते हुए हैं और संस्थाएं बनी हैं।

इंदिरा गांधी का यही नजरिया, हमारी अपनी पर्यावरण नीति को परिभाषित करता है, जिसे हमने इस वर्ष के शुरू में स्वीकार किया है। हमारी नीति कहती है कि जहां पर्यावरण साधनों का संरक्षण रोजगार जुटाने और सभी के कल्याण के लिए जरूरी है, वही संरक्षण का सबसे विश्वसनीय आधार यह है कि जो लोग किसी विशेष साधन पर निर्भर हैं, वे उस साधन के संरक्षण से बेहतर रोजगार प्राप्त करें, न कि उसे नुकसान पहुंचा कर।

लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाना सभी नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करना, सभी को रोजगार उपलब्ध कराना और फिर भी निरन्तर विकास के ऐसे रास्ते पर चलते रहना, जिससे हमारी सांझी प्राकृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण हो- यही समूची मानव जाति के सामने चुनौती है।

1972 के बाद से भारत ने पर्यावरण संबंधी सभी प्रमुख गतिविधियों में भाग लिया है। हमने पर्यावरण मुद्दों से संबंधित कई महत्वपूर्ण बहु-पक्षीय समझौतों में योगदान दिया है और उनकी पुष्टि की है, जिनमें पर्यावरण संबंधी समस्याओं के सीमा-रहित विश्वव्यापी स्वरूप तथा दीर्घावधि विकास पर पड़ने वाले इनके प्रभाव की बात कही गई है। हमने पर्यावरण सहयोग के लिए कई क्षेत्रीय और द्विपक्षीय कार्यक्रमों में भी भाग लिया है। पर्यावरण ऐसा विषय है, जो सम्पूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में बांधता है, क्योंक पूरी मानव जाति का एक सांझा पर्यावरण है। हम अन्य विकासशील देशों को विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण के लिए सहायता देते हैं । हम अन्य देशों की इस बात के लिए सहायता करते हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रीय पर्यावरण संधियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें।

राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने निरन्तर विकास के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए नीतियों, नियमों, कार्यक्रमों और वैज्ञानिक क्षमता की प्रभावी व्यवस्था की है। लगता है निरन्तर विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय प्रयासों का हमारी विकास प्रक्रिया पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। जहां औद्योगिक देशों में खरीद शक्ति की दृष्टि से 6000-8000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय के बाद पर्यावरण संबंधी प्रमुख प्रतिमानों ने गिरना बन्द किया, वहीं भारत में खरीद शक्ति की दृष्टि से 2000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय पर ही गिरावट की यह प्रक्रिया पलट गई। यह उपलब्धि किसी भी दृष्टि से छोटी नहीं है।

ओजोन परत की क्षति पिछले कुछ दशकों में पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण विश्वव्यापी चिन्ता के रूप मे सामने आई है। 1985 में वियना सम्मेलन में, ओजोन परत और ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के प्रभाव के संबंध में अनुसंधान के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए व्यवस्था बनाई थी। उसके बाद ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के बारे में 16 सितम्बर, 1987 को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। यह एक अनिवार्य बहु-पक्षीय संधि थी, जिसका उद्देश्य विश्व में ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को कम करके पूर्व

निर्धारित स्तर तक लाना था। लेकिन विकासशील देशों ने इसकी पुष्टि में कोई जल्दी तब तक नहीं दिखाई, जब तक 1990 में लन्दन में समझौते में संशोधन नहीं हो गया।

हम समझते हैं कि ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से कम करने की विश्वव्यापी योजना को लागू करने मे समझौता कामयाब रहा है। कुल मिलाकर ऐसे पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के राष्ट्रीय कार्य और कार्यवाही योजनाओं पर अमल हुआ है। भारत ने बिना किसी अपवाद के इस समझौते के अन्तर्गत अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। वास्तव में हमने अन्य सभी बहु-पक्षीय पर्यावरण समझौतों के मामले में भी ऐसा ही किया है, जिनमें हम शामिल हैं। यह कार्य निश्चित समय सीमा के अन्दर हुआ है और कुछ मामलों मे समय से पहले भी पूरा हुआ है।

इस क्षेत्र में हमारी सफलता के क्या कारण हैं। विश्व व्यापी पर्यावरण पर अन्य बहुपक्षीय समझौतों के प्रारूप के लिए हमारे अनुभव का क्या योगदान हैं?

पहला, सन्धि से पहले समस्या के कारणों, समस्या के लिए जिम्मेदार पहलुओं, प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित लागत पर टैक्नोलॉजी की उपलब्धता और इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक साधनों से संबंधित पर्याप्त जानकारी के बारे में सशक्त वैज्ञानिक आम सहमति हुई थी।

दूसरा, लन्दन में हुए संशोधन के रूप में सामने आया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के मामले में विकसित और विकासशील देशों के बीच प्रति व्यक्ति आधार एक जैसे हो गए।

तीसरा, विकासशील देशों को दी जाने वाली टैक्नोलॉजी और टैक्नोलॉजी में होने वाले परिवर्तनों की बढती लागत से निपटने के लिए स्पष्ट वित्तीय प्रबंधें की व्यवस्था। ये योगदान आम तौर पर वैसे ही हैं, जो एक समान किन्तु अन्तर वाले दायित्व और क्षमताओं के सिद्धान्त से मेल खाते हैं और विकसित देशों की ओर से अंशदान स्वैच्छिक हैं।

लेकिन विकासशील देशों में निरन्तर विकास के व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से समझौते में कुछ बेहतर व्यवस्था हो सकती थी, जो कि बहु-पक्षीय पर्यावरण समझौते का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।

मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टैक्नोलॉजी का हस्तान्तरण कोई खास नहीं हुआ है। मैं टैक्नोलॉजी सहित बड़े उपकरणों की खरीद के मामलों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जिनके साथ उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण भी जुड़ा होता है,बल्कि मैं विकसित देशों में क्षमता का विकास किए जाने के बारे में बात कर रहा हूँ, जिससे कि वे अपनी आवश्यकतानुसार उपकरणों का निर्माण कर सकें और उनका विकास कर सकें।

समझौते में एक व्यवस्था चिन्ता का विषय है, जिसमें समझौते का परिपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापार पाबंदियों के इस्तेमाल की बात कही गई है। मैं समझता हूँ कि बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों में शामिल सभी पक्षों को अपने वायदों को जरूर पूरा करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन व्यापार पाबंदियों का इस्तेमाल उचित नहीं है। ऐसी पाबदियों से आर्थिक विकास की संभावनाओं और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। समझौते के परिपालन पर नजर रखते हुए हमें और अधिक सृजनशील होने की जरूरत है, लेकिन हमारे प्रयासों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

पर्यावरण संधियों के माध्यम से व्यापारिक लाभ नहीं उठाए जाने चाहिए। नहीं तो विश्व व्यापार संगठन की जटिल वार्ताओं के बाद विकासशील देशों को जो लाभ मिले हैं, वे व्यर्थ हो जाएंगे। गरीबी उन्मूलन के लिए बहु-पक्षीय और द्विपक्षीय साधनों से जो आर्थिक सहायता दी जाती है, उनमें पर्यावरण उद्देश्यों को पूरा करने के नाम पर कटौती नहीं होनी चाहिए, जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है। बल्कि सहमत पर्यावरण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक आर्थिक और टैक्नोलॉजिकल संसाधनों को अतिरिक्त संसाधन मानना चााहिए, जिससे कि साथ-साथ आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की नीतियां भी चलती रहें। और यह सब सुचारू व्यवस्थाओं के जरिए कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप वैश्विक पर्यावरण एजेंडे को इन बातों का ध्यान में रखते हुए देखें।

भारत एक बहु-संस्कृतियों, बहु-धर्मों, बहु-भाषाओं और बहु-जातियों वाला एक अरब से भी ज्यादा लोगों का देश है, जो एक ऐसे खुले समाज और मुक्त अर्थव्यवस्था के दायरे में अपनी उन्नति के लिए कोशिश करते हैं, जहां सभी मूलभूत मानव अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना है, और कानून का शासन है। मैं समझता हूँ, लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में राष्ट्र निर्माण के हमारे प्रयोग की सफलता मानव जाति के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ गरीबी समाप्त करने और सभी को उपयोगी रोजगार दिलाने मे कामयाब रहें, तो हम निरन्तर विकास का नया रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि हम अपनी आर्थिक विकास की प्रक्रिया को और अधिक समग्र बनाएं, वैश्विकरण की प्रक्रियाओं को और अधिक समेकित करें तथा अपने समाजों और राजनीतिक व्यवस्थाओं को और अधिक समेकित करें। मेरा विश्वास है कि ऐसा करके हम मानव जाति और प्रकृति के बीच हमेशा के लिए सामंजस्य सुनिश्चित कर सकेंगे।

मुझे पूरी उम्मीद है कि निरन्तर विकास के हमारे मुख्य सिद्धान्त, विभिन्न पक्षों की इस बैठक में वार्ताओं के दौरान सांझी समस्याओं के निपटान के लिए ऐसे सर्वसम्मत उपाय ढूंढने में सहायक होंगे, जो मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने शुरू में कहा था कि पर्यावरण संबंधी चिन्ताओं ने पूरी मानव जाति को एक कर दिया है। मेरी कामना है कि आप अपनी बातचीत में सफल हों। आपके निष्कर्षों का इस 21वीं शताब्दी में, जिसमें हम रह रहे हैं, मानव जाति के भावी विकास के लिए बहुत महत्व है।

******